सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 606 राँची, रविवार

25 श्रावण, 1937 (श०)

16 अगस्त, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

7 अगस्त, 2015

संख्या:- 5/आरोप-1-779/2014 का॰ 7097--निगरानी थाना काण्ड संख्या-22/11, दिनांक-17 अगस्त, 2011 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री उमा शंकर प्रसाद, झा0प्र0से0, के विरूद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर कार्यावधि में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ड्राईविंग लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं वाहन टैक्स इत्यादि में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक की राशि वसूलने में जिला परिवहन कार्यालय, हजारीबाग के कर्मियों को सहयोग करने एवं कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्तता संबंधी आरोपों के कारण इन्हें विभागीय आदेश सं0-3853, दिनांक-27 अप्रैल, 2015 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(2)(क) के तहत् दिनांक- 21 मार्च, 2015 के प्रभाव से हिरासत अवधि तक के लिए निलंबित किया गया है।

2. विषयगत आरोपों हेतु विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-01/जे0, दिनांक-21 जनवरी, 2015 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा विभागीय संकल्प सं0-1108, दिनांक-10 फरवरी, 2015 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

3. श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इन्हें असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क-(1)(क) एवं(ख) के तहत् हिरासत से मुक्त किये जाने की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग रहेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 606—50 ।